भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1426

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण

1426. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा कृषि ऋण के संवितरण के बीच का अंतर बड़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-बार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान देश भर के किसानों को कृषि ऋण देने से मना करने या अनिच्छा दिखाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर अब तक बैंक-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(घ) एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा वापस किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को कृषि ऋण के संवितरण में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले तीन वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों (लघु वित्त बैंकों सहित) के कुल कृषि ऋणों में क्रमशः 26% और 11% की सीएजीआर दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2024-2025 के दौरान संवितरित कृषि ऋणों से संबंधित बैंक-वार/बैंक-समूह-वार और राज्य-वार आंकड़े अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग): भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें ग्राहक सेवा दिशानिर्देश जारी करना और रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 को लागू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पोर्टल नागरिकों, जिनमें बैंक ग्राहक भी शामिल हैं, के लिए उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे सेवा वितरण के संबंध में सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

(घ): एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा चुकाए गए ऋणों का विवरण आरबीआई द्वारा नहीं रखा जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मौजूदा व्यापक आर्थिक परिस्थितियां, क्षेत्रीय मुद्दे, वैश्विक कारोबारी माहौल आदि शामिल हैं। रिजर्व बैंक ने दीर्घकालिक संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के साथ-साथ संकट की समयबद्ध पहचान और निवारण के लिए कई पहलें की हैं, और बैंकों के बोर्डों को प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ङ): सरकार ने किसानों को कृषि ऋण संवितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सभी पात्र किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए परेशानी मुक्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना शुरू की है, जो किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि जैसे कृषि की निवेश वस्तुएँ (इनपुट) खरीदने और अपनी कृषि और उपभोग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए नकद राशि निकालने में सक्षम बनाती है। केसीसी योजना को सरल बनाकर एटीएम-सक्षम रुपे डेबिट कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ-साथ एक बार के दस्तावेज़ीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंदर कितनी भी बार निकासी आदि की सुविधा शामिल है।
- किसानों को केसीसी योजना के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए, केंद्र/राज्य सरकारें, आरबीआई, नाबार्ड और बैंक विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाते हैं।
- जन समर्थ पोर्टल को सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण और सब्सिडी योजनाओं को जोड़ने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में शुभारंभ किया गया है। यह ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्राप्त करने का एक तेज और कुशल तरीका प्रदान करता है।
- सरकार ने सितंबर 2023 में किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) का शुभारंभ किया है, जिससे आधार-आधारित लाभार्थी सत्यापन और केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत तेजी से डिजिटल दावा निपटान संभव हो सकेगा।

*****

अनुबंध -I

"सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण" के बारे में दिनांक 09.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1426 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- I

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर बैंक-वार/बैंक समूह-वार डेटा

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2023**	**2024**	**2025**
		संवितरित राशि	**संवितरित राशि**	**संवितरित राशि**
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	111518	124825	148194
2	बैंक ऑफ इंडिया	61650	13949	51037
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9506	8921	13193
4	केनरा बैंक	194554	241919	254536
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	25016	33465	41174
6	इंडियन बैंक	78844	93699	118652
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	38846	51559	94548
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	2277	2674	3439
9	पंजाब नेशनल बैंक	112292	102891	138091
10	भारतीय स्टेट बैंक	139940	268260	296338
11	यूको बैंक	14076	18790	13471
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	25286	123099	132311
13	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)	**813806**	**1084051**	**1304983**
14	निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीटीएसबी)	642022	742327	798223
15	लघु वित्त बैंक (एसएफबी)	43250	45512	46478
कुल		**14,99,078**	**18,71,891**	**21,49,685**

स्रोत: आरबीआई

अनुबंध -II

"सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण" के बारे में दिनांक 09.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1426 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध- II

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर राज्यवार आंकड़े

(राशि रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2023**	**2024**	**2025**
		संवितरित राशि	**संवितरित राशि**	**संवितरित राशि**
1	अंडमान और निकोबार	277	315	468
2	आंध्र प्रदेश	127194	193317	225540
3	अरुणाचल प्रदेश	124	239	305
4	असम	5598	7671	9748
5	बिहार	30827	38202	39527
6	चंडीगढ़	3889	6065	17436
7	छत्तीसगढ	15811	19546	28575
8	दादरा एवं नगर हवेली	191	-	-
9	दमन और दीव	102	-	-
10	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	290	348
11	दिल्ली	42299	26399	32123
12	गोवा	1609	2082	2073
13	गुजरात	67436	88507	95100
14	हिरयाणा	48832	54427	59819
15	हिमाचल प्रदेश	5317	5730	6333
16	जम्मू और कश्मीर	14254	8145	8998
17	झारखंड	16833	15509	10846
18	कर्नाटक	114072	148718	165662
19	केरल	98346	124876	138618
20	लद्दाख	-	146	161
21	लक्षद्वीप	17	850	51
22	मध्य प्रदेश	59406	64230	82901
23	महाराष्ट्र	244428	304336	350595
24	मणिपुर	850	485	760
25	मेघालय	177	271	359
26	मिजोरम	95	143	152
27	नगालैंड	188	315	401
28	ओडिशा	23332	32529	39283
29	पुदुचेरी	3924	5164	6420
30	पंजाब	59973	59363	64615
31	राजस्थान	81234	94789	97479
32	सिक्किम	445	602	605
33	तमिलनाडु	298869	376101	421566
34	तेलंगाना	50934	90786	109152
35	त्रिपुरा	939	1184	1287
36	उत्तर प्रदेश	92017	101791	99033
37	उत्तराखंड	8454	8623	27539
38	पश्चिम बंगाल	35003	46914	52444
	कुल	**15,53,297**	**19,28,659**	**21,96,319**

स्रोत: आरबीआई